सं0-52/2015/480/62-2-2015-2/3(09)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 मार्च,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-38/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2014-15, दिनांक 06-02-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में कुल प्राविधानित धनराशि `&25.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-996/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 07-4-2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि `&8.33 लाख तथा शासनादेश सं0-3125/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 04-12-2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि `&14.54 लाख तथा शासनादेश सं0-2917/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 05-01-2015 द्वारा धनराशि `&0.13 लाख कुल धनराशि `&23.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व अवमुक्त धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवेशष धनराशि `&2.00 लाख के सापेक्ष धनराशि `&0.89 लाख (रूपये नवासी हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 07-04'2014 एवं शासनादेश दिनांक 04-12-2014 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अर्न्तगत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा"।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-52/2015/480(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।